



2026: AHC: 29565

उच्च न्यायालय, इलाहाबाद

रिट - सी संख्या - 5148/2026

पंकज सिंह एवं अन्य

.....याचीगण

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं 4 अन्य

.....प्रतिवादीगण

याची के अधिवक्ता: अशोक कुमार यादव

प्रतिवादी के अधिवक्ता: सी.एस.सी., सुधीर भारती

न्यायालय संख्या - 6

माननीय न्यायमूर्ति प्रकाश पांडिया

1. पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ता को सुना गया तथा रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया।
2. यहाँ पारित किए जाने वाले प्रस्तावित आदेश को देखते हुए, निजी प्रतिवादी को नोटिस जारी करने और इस याचिका को इस न्यायालय के समक्ष लंबित रखने से कोई उपयोगी उद्देश्य सिद्ध नहीं होगा। हालांकि, यदि निजी प्रतिवादी इस आदेश से व्यथित महसूस करते हैं, तो आदेश में संशोधन/परिवर्तन की मांग करने का उनका अधिकार सुरक्षित रखा जा रहा है।
3. याचियों द्वारा वर्तमान याचिका में मांगी गई मुख्य राहत प्रतिवादी संख्या-2/उपजिलाधिकारी, तहसील रुद्रपुर, जनपद देवरिया को वाद संख्या-106 वर्ष 2023 (कंप्यूटरीकृत वाद संख्या-T202305200300106) को शीघ्रता से निस्तारित करने का निर्देश देना है।

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



4. मामला अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष लंबे समय से लंबित है और काफी समय बीत चुका है, लेकिन आज तक इस मामले में कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है।
5. मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में, वर्तमान याचिका को प्रतिवादी संख्या-2/उपजिलाधिकारी, तहसील रुद्रपुर, जनपद देवरिया को निर्देशित करते हुए निस्तारित किया जाता है कि वे उपरोक्त वाद को कानून के अनुसार सख्ती से और बिना किसी अनावश्यक स्थगन के निस्तारित करें, जब तक कि कोई कानूनी बाधा न हो।

10 फरवरी, 2026

सकलैन

(प्रकाश पांडिया, न्यायमूर्ति)

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"